जलवायु परविर्तन के प्रभाव की रपिोर्ट करने के लयि कानून: न्यूज़ीलैंड

न्यूज़ीलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जसिने अपने व्यवसाय पर **जलवायु परविर्तन** के प्रभावों की रपिोर्ट करने के लयि बैंकों, बीमा कंपनयिों और नविश प्रबंधकों हेतु कानून पारति कयि हैं।

प्रमुख बदिु:

- **सामान्य जानकारी:**
  - नए कानूनों के लयि वत्तिीय फर्मों को यह समझाने की आवश्यकता होगी कि वे जलवायु-संबंधी जोखमिों और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ भी न्यूज़ीलैंड के स्वतंत्र लेखा नकिाय के मानकों पर आधारति होंगी।
    - कानून वत्तिीय फर्मों को न केवल अपने स्वयं के नविश का आकलन करने बल्कि उन कंपनयिों का मूल्यांकन करने के लयि भी बाध्य करेगा, जन्हिें वे अपने पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में पैसा उधार दे रहे हैं।
  - वर्ष 2023 से शुरू होने वाले वत्तिीय वर्षों के लयि प्रकटीकरण अनविार्य हो जाएगा।
    - न्यूज़ीलैंड सरकार ने वर्ष 2025 तक अपने सार्वजनकि क्षेत्र को कार्बन-तटस्थ बनाने और इस दशक के मध्य से केवल शून्य-उत्सर्जन सार्वजनकि परविहन बसों को खरीदने का वादा करने सहति उत्सर्जन को कम करने के लयि कई नीतयिाँ पेश की हैं।
- **महत्त्व:**
  - यह सुनश्चिति करेगा कि वत्तिीय संगठन जलवायु संबंधी जोखमिों अवसरों के बारे में खुलासा करें और अंततः कार्रवाई करें।
  - जलवायु रपिोर्टगि स्वतंत्र होने से नविशकों को यह देखने को मलिेगा कि जसि कंपनी में वे अपना पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं, वह पर्यावरण को कैसे प्रभावति करती है।
    - यह वत्तिीय संस्थानों को अपने नर्णियों पर पुनर्वचिार करने के साथ-साथ दुनयिा पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी वचिार करने के लयि प्रेरति करता है।
  - यह कानून वत्तिीय और व्यावसायकि नर्णिय लेने में जलवायु जोखमि और लचीलापन लाएगा।
- **भारत के लयि इस कानून की आवश्यकता:**
  - **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज** (BSE) जैसे स्टॉक एक्सचेंज, जसिने 2.8 ट्रलियिन अमेरकिी डॉलर के बाज़ार पूंजीकरण की सीमा को छुआ है, भारत में संगठनों को अधकि पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करने में नश्चिति रूप से एक बड़ा प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
    - लेकनि भारत में इस उपाय को सफल बनाने के लयि राष्ट्र के आकार और मौजूद व्यवसायों की संख्या को देखते हुए इसे और अधकि व्यापक बनाना होगा।
- **संबंधति पहलें:**
  - **वत्तिीय प्रणाली को हरति बनाने हेतु नेटवर्क (NGFS):**
    - यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षी प्राधकिरणों का वैश्वकि नेटवर्क है जो एक अधकि स्थायी वत्तिीय प्रणाली की वकालत करता है।
  - **जलवायु संबंधी वत्तिीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स (TFCD):**
    - TFCD को वर्ष 2015 में वत्तिीय स्थरिता बोर्ड (FSB) ने कंपनयिों, बैंकों और नविशकों द्वारा हतिधारकों को जानकारी प्रदान करने के लयि लगातार जलवायु-संबंधी वत्तिीय जोखमि प्रकटीकरण हेतु बनाया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/law-to-report-impact-of-climate-change-new-zealand